नवीन शासकीय महाविद्यालय जरहागांव, जिला – मुंगेली (छ.ग.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 12 अक्टूबर से जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू है। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो विभिन्न अधिकारों एवं दायित्वों से अस्तित्व में आता है। यह अधिनियम इस महाविद्यालय में भी प्रभावशील है।

	सूचना विवरण	आवेदन की प्रक्रिया	शुल्क एवं लागत	सूचना प्राप्ति की अवधि	अर्थदण्ड	अपील
1 2 3 4	किसी सरकारी फाईल या दस्तावेज का निरीक्षण करना किसी लोक निर्माण कार्य का निरीक्षण करना किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध जानकारी की प्रति लेना	आवेदक को सूचना प्रति हेतु आवेदन लिखित में स्वयं/डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा देना होगा।	सूचना उपलब्ध कराने का शुल्क (1) 10 रु. नकद/चालान नानजुडिशियल स्टाम्प, ड्राफ्ट, बैंकर चेक (2) सूचना की प्रति लेने हेतु प्रत्येक (ए4/ए3) (3) बड़े आकार के कागज की वास्तविक लागत (4) नमूने या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत (5) डिस्केट या फ्लापी हेतु प्रति फ्लापी 50/– टीप :– निर्धारित शुल्क लोक प्राधिकारी के लेखाधिकारी को संदेय	(1) निर्धारित अवधि 30 दिवस (2) व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधी 48 घंटे	बिना तर्कसंगत कारण के सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब के लिए प्रतिदिन 250 रु. अधिकतम 25000/– दण्ड का प्रावधान है।	सूचना प्राप्त होने पर अपील– प्रथम अपील– वरिष्ठ अधिकारी से द्वितीय अपील– राज्य सूचना आयोग से तृतीय अपील– केन्द्रीय सूचना आयोग से की जा सकती है।

श्रीमती रजनी बारले
जनसूचना अधिकारी

डॉ. कैलाशा टाईगर
प्रथम अपीलीय अधिकारी